



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042022-235244
CG-DL-E-20042022-235244

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 2022/चैत्र 30, 1944

No. 107]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 2022/CHAITRA 30, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2022

सं. 04/2015-2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के अंतर्गत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के आबंटन हेतु आवेदन।

फा. सं. 01/93/180/63/एम-21/पीसी-2(बी)/ई-27749.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के अंतर्गत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत मदों के आयात हेतु प्रक्रिया के संबंध में सार्वजनिक सूचना सं. 23/2015-20, दिनांक 7 सितंबर, 2021 और सं. 31/2015-20, दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 के क्रम में महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु पहले आओ पहले पाओ आधार पर आवेदन आमंत्रित कर विदेश व्यापार नीति 2015-20 के परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक III की शर्त (II) (च) को संशोधित करते हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु टीआरक्यू के आबंटन हेतु ऑन लाइन आवेदनों को प्रस्तुत करने की कोई अंतिम तिथि नहीं होगी, जिसके लिए अन्य तौर तरीके वही रहेंगे।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के अंतर्गत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के आबंटन हेतु ऑनलाइन आवेदनों पर डीजीएफटी द्वारा पहले आओ पहले पाओ आधार पर विचार किया जाएगा, जिसके लिए कोई अंतिम तिथि नहीं होगी।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th April, 2022

No. 04 /2015-2020

Subject: Applications for allocation of Tariff Rate Quota (TRQ) under India - Mauritius CECPA for the for the financial year 2022-23.

F. No. 01/93/180/63/AM-21/PC-2[B]/e-27749.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2015-20 and in continuation of Public Notice No. 23/2015-20 dated 7th September, 2021 and No. 31/2015-20 dated 28th October 2021, regarding procedure for import of items under Tariff Rate Quota (TRQ) under India - Mauritius CECPA, the Directorate General of Foreign Trade hereby amends condition (ii) (f) of Annexure -III to Appendix-2A of FTP- 2015-20, by **inviting applications on First Come, First Served basis for the current financial year 2022-23. There shall be no end date for submission of online applications for allocation of TRQ for the current FY 2022-23, with other modalities remaining the same.**

2. Effect of this Public Notice:

The online applications for allocation of Tariff Rate Quota (TRQ) under India-Mauritius CECPA **for the current financial year 2022-23** will be considered by the DGFT on **First Come, First Served basis, with no end date.**

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.